मु.नं.–29 / 2021 GCMS ID-2021/42 ता.रजु–01.04.2021

न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एवं जिला कलक्टर मुकाम करौली

पीठासीन अधिकारी श्री सिद्धार्थ सिहाग, आई.ए.एस.

रामसिंह मीना पुत्र श्री मोहनलाल मीना ग्रा. पो. कोटरी, तहसील हिण्डौन सिटी जिला करौली – अपीलार्थी

बनाम

राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर, करौली – प्रत्यर्थी

अपील अंतर्गत धारा 19(1) आर.टी.आई. एक्ट 2005

निर्णय

दिनांक–26.08.2021

1. वैश्विक महामारी कोविड–19 के संक्रमण के प्रसार को रोकने की व्यवस्थाओं में एवं प्रशासनिक कार्यों में व्यस्त रहने के कारण अपील की सुनवाई किये जाने में विलम्ब हुआ।
2. अपीलार्थी दिनांक 14.06.2021, 21.06.2021, 28.06.2021, 05.07.2021, 12.07.2021, 19.07.2021, 26.07.21, 05.08.21, 16.08.21, 25.08.21, 26.08.21 को बार–बार अवसर दिये जाने के बावजूद अपीलार्थी उपस्थित नहीं।
3. अपीलाण्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत प्रत्यर्थी को आवेदन पत्र प्रेषित कर '' आपके कार्यालय द्वारा दिनांक 22.03.2019 क्रमांक 18 / 697 एस.डी.ओ. हिण्डौन को प्रार्थना पत्र की जांच (विस्तृत जांच) कराई गई थी उसकी प्रति (उस जांच) की कॉफी आपके कार्यालय में है। उसे प्रार्थी को उपलब्ध कराने की कृपा करें। आपके आदेशों के बाद भी निम्न जांच और हैं उनकी भी सत्य प्रति देने के आदेश करें–(1) उपखण्ड अधिकारी, हिण्डौन दिनांक 31.01.2019 क्रमांक 3372 LR (2) आपका कार्यालय आदेश दिनांक 22.02.2019 क्रमांक पी.जी./विविध/ 19/13–15 CBEO हिण्डौन (3) CDBO करौली द्वारा आपके कार्यालय के पत्र की दिनांक 22.07.2019 को पत्र CBEO कार्यालय जमा प्राप्त किया जिसका आदेश क्रमांक 796 दिनांक 29.07.19 आज तक प्रार्थी को सूचना नहीं '' आदि सूचना चाही गई थी जिसे प्रत्यर्थी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाये जाने के कारण यह प्रथम अपील पेश की है।
4. प्रत्यर्थी ने अपीलोत्तर पेश कर निवेदन किया है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना के बिन्दु संख्या की सूचना अपीलार्थी को प्रेषित कर दी गई है एवं बिन्दु संख्या 1 व 3 से संबंधित सूचना कार्यालय में अप्राप्त है। कार्यालय के विनिश्चय से अपीलार्थी को अवगत करवा दिया गया है। अंत में अपील अपीलार्थी ड्रॉप फरमाने का निवेदन किया है।
5. पत्रावली का अवलोकन किया गया।
6. प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को अपने विनिश्चय से अवगत करवा दिया गया है एवं उनके कार्यालय में उपलब्ध 1 पृष्ठीय सूचना अपीलार्थी को निःशुल्क प्रेषित कर दी गई है जिस पर अपीलार्थी द्वारा अन्यथा कोई प्रतिकार पेश नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त अपीलार्थी को बार–बार अवसर दिये जाने एवं उसके उपस्थित नहीं आने से यह विदित होता है कि अपीलार्थी उक्त सूचना से संतुष्ट है परंतु प्रत्यर्थी के कार्यालय में सूचना अप्राप्त होने पर प्रत्यर्थी द्वारा संबंधित कार्यालय को अपीलार्थी का आवेदन पत्र अंतरित किया जाना चाहिये था जो प्रत्यर्थी द्वारा नहीं किया गया।
7. अतः हम अपील अपीलार्थी आंशिक स्वीकार किया जाना उचित समझते हैं।
8. अस्तु अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार की जाती है। प्रत्यर्थी को आदेश दिये जाते हैं कि वे संबंधित कार्यालय को अपीलार्थी का आवेदन अंतरित करें।
9. निर्णय की प्रमाणित प्रति उभय पक्षकारान को प्रेषित हो।
10. पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।
11. निर्णय आज दिनांक 26.08.2021 को मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सिद्धार्थ सिहाग)
प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं
जिला कलक्टर
करौली